

पत्र संख्या : 7/वि.शा./सुवर्णरेखा परि. 14-01/2019-ज.सं. (खण्ड-I)- 111

झारखण्ड सरकार  
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,  
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्ण रेखा बहुद्देशीय परियोजना/  
मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स/ईचा-गालूडीह कम्पलेक्स, सुवर्ण रेखा परियोजना;  
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;  
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक : 18/11/2020

विषय :- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के विभिन्न कार्य प्रमंडलों को सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना के कार्यान्वयन हेतु रु. 4198.84 लाख (रु. एकतालीस करोड़ अठानबे लाख चौरासी हजार मात्र) रुपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृतिदेश सं.-19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19 & 1465/25.09.19  
महाशय,

वित्तीय वर्ष 2020-21 में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष 4700-मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना के अंतर्गत निम्नवत् दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालयों को आवंटन संसूचित किया जाता है  
(लाख रु. में)

क्र.	मॉग सं./मुख्य शीर्ष	उप मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	उप शीर्ष /विस्तृत शीर्ष/ विपत्र कोड	वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट उपबंध	पूर्व में निर्गत आवंटन	वर्तमान आवंटन	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080796120545	14000.00	1425.90	4198.84	5624.74
2.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080789120545	6000.00	1271.78	0.00	1271.78
3.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796120545	5000.00	19.22820	0.00	19.22820
4.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080789120545	4000.00	0.00	0.00	0.00
5.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
6.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 789- अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	13-सुवर्णरेखा परियोजना (राज्य योजना), विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080789130545	2500.00	0.00	0.00	0.00
7.	49-जल संसाधन विभाग, 4700 - मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परियोजना	80-सामान्य/ 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोग, योजना	11-उड़ीसा/पश्चिम बंगाल की शेर राशि, विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45- निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49S470080796110545	2645.00	0.00	0.00	0.00
कुल				36645.00	2716.90820	4198.84	6915.74820
8.	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि		मार्च, 2020 तक योजना पर कुल व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में कुल निर्गत आवंटन	योजना पर कुल निर्गत आवंटन		
	661374.00		654164.42526	6915.74820	661080.17346		

वर्तमान आवंटित राशि - ₹ एकतालीस करोड़ अठानबे लाख चौरासी हजार मात्र।

- उपर्युक्त आवंटित की जा रही राशि का व्यय परिशिष्ट-1 वर्णित विवरणी में अंकित कार्य प्रमंडल के द्वारा नियमानुसार किया जाएगा।
- आवंटित राशि वर्ष 2020-21 के बजट उपबंध (49C470080796120545) ₹ 14000.00 लाख (₹ एक सौ चालीस करोड़) मात्र के अंतर्गत है।

(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



4. आवंटित राशि योजना-सह-विभाग (वित्त प्रभाग) के पत्रांक-1135, दिनांक-01.07.2020 के आलोक में केन्द्र प्रयोजित योजना के केन्द्रांश की राशि है।
  5. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि. (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि.) दि. 15.07.2003, 1363 दि. 09.05.2016 तथा 2747(वि.), दिनांक-19.09.16 के आलोक में होगा।
  6. आवंटित राशि का व्यय विभागीय पत्रांक 1/PMC/कार्य/404/06 (पार्ट II) 19/10-11 प्र० स्वी० दिनांक 14.10.10 द्वारा प्रदत्त प्रशासनिक स्वीकृति, के अनुरूप किया जायेगा।
  7. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
  8. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।
  9. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
  10. आवंटित राशि का अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
  11. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
  12. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
  13. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
  14. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरिक्त राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।
- नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 111 रॉची, दिनांक :- 18/11/2020

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. - हिन्, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, रॉची/डोरण्डा/जमशेदपुर/सरायकेला-खरसोवा/चाईबासा/चाण्डिल/घाटशिला सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


अनु. :- यथोक्त

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

ज्ञापांक :- 111 रॉची, दिनांक :- 18/11/2020

प्रतिलिपि :- प्रधान सचिव, वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त, सचिव योजना एवं विकास विभाग/ आंतरिक वित्तीय सलाहकार जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो.) रॉची/अभियंता प्रमुख -I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.) जल संसाधन विभाग को पॉच प्रति/प्रशाखा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/देव सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक-यथोक्त।

  
(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव

पत्रांक :- 111 दिनांक 18/11/2020 का अनुलग्नक

परिशिष्ट-1

मौग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष - 4700 मुख्य सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष - 80 सामान्य

लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोगना

उप शीर्ष -12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080796120545


वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	सुवर्ण रेखा बांध प्रमंडल संख्या-2 चांडिल (SKLIRR028)	चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स	सुवर्णरेखा बहुदेशीय परियोजना	19/10-11 प्र.स्वी., दिनांक-14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19 & 1465/25.09.19	661374.00	654164.43	0.00	422.59	422.59	57398	
2	याँत्रिक प्रमंडल, चाण्डिल (SKLIRR013)						0.00	96.48	96.48	57399	
3	लघु वितरणी प्र० सं०-3, मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR011)						178.25	440.00	618.25	57400	
4	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, जमशेदपुर (JSRIRR100)						254.10	310.00	564.10	57401	
5	लघु वितरणी प्र० सं०-12, मानगो, जमशेदपुर (JSRIRR006)						145.92	120.00	265.92	57402	
6	लघु वितरणी प्र० सं०-5, डिमना, जमशेदपुर (JSRIRR002)						163.93	240.00	403.93	57403	
7	लघु वितरणी प्र० सं०-07, गालूडीह (JSRIRR087)						0.00	240.00	240.00	57404	
8	बराज प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR074)						163.73	443.00	606.73	57405	
9	सुवर्णरेखा नहर प्रमंडल, घाटशिला (JSRIRR018)						311.05	200.00	511.05	57406	
10	लघु वितरणी प्र० सं०-10, घाटशिला (JSRIRR022)						37.35	69.72	107.07	57407	
11	सिंचाई प्रमंडल, गालूडीह (JSRIRR104)						130.80	56.44	187.24	57408	
12	लघु वितरणी प्र० सं०-8, जमशेदपुर (JSRIRR010)						40.77	45.73	86.50	57409	
13	आयोजन एवं मोनिटरिंग प्र., जमशेदपुर (JSRIRR014)						0.00	0.67	0.67	57410	
14	उप निदेशक, क्रय निर्माण सामग्री एवं निविदा नियंत्रण, एस.पी.यू., आदित्यपुर, जमशेदपुर (SKLIRR026)						0.00	2.81	2.81	57411	
योग							1425.90	2687.44	4113.34		



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

  
(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)

  
(प्रशांत कुमार)  
सचिव



लघु शीर्ष - 796-जन जातीय क्षेत्र उपयोजना

उप शीर्ष -12-ए.आई.बी.पी. एवं अन्य जल संसाधन कार्यक्रम अन्तर्गत योजनाओं का कार्यान्वयन,

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य; विपत्र कोड - 49C470080796120545

वित्तीय वर्ष 2020-21 में बजट उपबंध रु. 14000.00 लाख (एक सौ चालीस करोड़) मात्र।

(राशि रु. लाख में)

क्र०	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता प्रक्षेत्र	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020-21 में आवंटन			On-line Allotment Access No.	अभियुक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्तमान आबंटन	कुल आबंटन		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	खरकई बांध प्रमंडल सं0-1 मुसाबनी (JSRIRR026)	चांडिल कॉम्प्लेक्स / ईचा-गालूडीह कॉम्प्लेक्स	सुवर्णरेखा बहुददेशीय परियोजना	19 / 10-11 प्र.स्वी., दिनांक-14.10.2010 Online AA-1466/01.11.19 & 1465/25.09.19	661374.00	654164.42526	0.00	2.93	2.93	57412	
16	खरकई नहर प्रमंडल, चाईबासा (SGHIRR002)						0.00	106.00	106.00	57413	
17	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल गांगुडीह (JSRIRR008)						0.00	130.00	130.00	57414	
18	गालूडीह दायां नहर प्रमंडल सं.-1, मुसाबनी, शिविर गालूडीह (JSRIRR039)						0.00	100.00	100.00	57415	
19	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-4 गालूडीह (JSRIRR072)						0.00	275.00	275.00	57416	
20	खरकई लिंक नहर प्रमंडल मुसाबनी (JSRIRR029)						0.00	330.00	330.00	57417	
21	खरकई नहर प्रमंडल, आदित्यपुर (SKLIRR032)						0.00	200.00	200.00	57418	
22	सुवर्ण रेखा नहर प्रमंडल चांडिल (SKLIRR023)						0.00	340.00	340.00	57419	
23	लघु वितरणी प्रमंडल सं0-9 घाटशिला (JSRIRR050)						0.00	6.65	6.65	57420	
24	रूपांकण प्रमंडल सं0-2 आदित्यपुर (SKLIRR015)						0.00	0.82	0.82	57421	
25	खरकई बांध प्रमंडल सं0-2 ईचा चालियामा (SKLIRR025)						0.00	20.00	20.00	57422	
योग							0.00	1511.40	1511.40		
कुल योग							1425.90	4198.84	5624.74		
आवंटित राशि - ₹ एकतालीस करोड़ अठानवे लाख चौरासी हजार मात्र।											



(राजेन्द्र प्रसाद)  
उप सचिव (अभि.)

111  
18/11/2020



(अशोक कुमार दास)  
संयुक्त सचिव (अभि.)



(प्रशांत कुमार)  
राचिव